संख्या-89/2022/1720/26-3-2022-10(27)/99 टी.सी.

प्रेषक,

रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
छत्रपति शाहूजी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान,
भागीदारी भवन, गोमती नगर, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ:दिनांक 04 अगस्त 2022

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-80 के अन्तर्गत छत्रपति शाहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ के लिये अवशेष अवधि हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-सी-259/भा0भ0/2022-23, दिनांक-21.07.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07.06.2022 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अधीन अनुदान सं0-80 के लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, 01-अनुसूचित जातियों का कल्याण, 277-शिक्षा-17-छत्रपति शाहूजी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के अन्तर्गत निम्न विवरण के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में **प्राविधानित धनराशि रू0-305.69 लाख** के सापेक्ष **अवशेष अवधि हेतु रू0-203.81 लाख (रूपये-दो करोड तीन लाख इक्यासी हजार मात्र)** की धनराशि अवमुक्त कर निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0सं0	**मद**	**आय-व्ययक अनुमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्राविधानित धनराशि**	**वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु लेखानुदान (प्रथक चार माह अप्रैल से जुलाई 2022) के रूप में निर्गत वित्तीय स्वीकृति**	**वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिये वित्तीय स्वीकृति**
1	01-वेतन	101.23	33.74	67.49
2	02-मजदूरी	1.25	0.42	0.83
3	03-मंहगाई भत्ता	37.46	12.49	24.97
4	04-यात्रा भत्ता	1.00	0.33	0.67
5	05-स्थानान्तरण यात्रा भत्ता	0.25	0.08	0.17
6	06-अन्य भत्ते	0.50	0.17	0.33
7	08-कार्यालय व्यय	10.00	3.33	6.67
8	09-विद्युत व्यय	28.00	9.33	18.67
9	10-जलकर एवं जलप्रभार	10.00	3.33	6.67
10	11-लेखन सामग्री	3.50	1.17	2.33
11	12-कार्यालय फर्नीचर/उपकरण	2.00	0.67	1.33

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

12	13-टेलीफोन पर व्यय	1.00	0.33	0.67
13	15-वाहन अनुरक्षण/पेट्रोल क्रय	5.50	1.83	3.67
14	16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	1.00	0.33	0.67
15	17-किराया उपशुल्क	10.00	3.33	6.67
16	29-अनुरक्षण	10.00	3.33	6.67
17	39-औषधि तथा रसायन	0.50	0.17	0.33
18	43-सामग्री सम्पूर्ति	1.00	0.33	0.67
19	44-प्रशिक्षण	2.00	0.67	1.33
20	45-अवकाश यात्रा व्यय	1.00	0.33	0.67
21	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफटवेयर	5.00	1.67	3.33
22	47-कम्प्यूटर अनु0/स्टेशनरी क्रय	2.50	0.83	1.67
23	49-चिकित्सा व्यय	3.00	1.00	2.00
24	55-मकान किराया भत्ता	8.00	2.67	5.33
25	58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	60.00	20.00	40.00
	योग-	**305.69**	**101.88**	**203.81**

(रू0-दो करोड तीन लाख इक्यासी हजार मात्र)

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि वर्ष 2022-23 के लिये है, जिसके सापेक्ष अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें, जहां तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग प्रतिमाह समान रूप से की जाय। बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाय कि आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय यदि सम्बन्धित विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को सम्बन्धित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय। धनराशि के एक मुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबन्धन (कैश मैनेजमेन्ट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय हेतु वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07.06.2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों एवं प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये। धनराशि के व्यय हेतु शासन द्वारा मितव्ययिता के संबंध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत वित्तीय नियमों तथा आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा उ0प्र0 बजट मैनुअल के पैरा-88 में इंगित व्यवस्था के अनुसार व्यय को प्राधिकृत विनियोग सीमा/स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि के भीतर रखा जाये।

(3) वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष व्यय की नियमित संवीक्षा अपने स्तर पर किये जाने की व्यवस्था करें तथा समीक्षा में यदि किसी मामले में सीमाधिक्य व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल शासन के समाज कल्याण विभाग तथा संबंधित वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग के संज्ञान में लाया जाये। इस संबंध में बी0एम0-13 में नियमित रूप से शासन को सूचना उपलब्ध कराई जाये तथा बजट मैनुअल में निर्धारित विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से इस संबंध में निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय के विवरण सहित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उपर्युक्त धनराशि व्यय किये जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश बजट

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डड्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए।

2- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07.06.2022 द्वारा प्रशासकीय विभागों को दिये गये दिशा-निर्देशों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव।

पृ0संख्या-89 /2022/1720 (1)/26-3-2022-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2-प्रधान महालेखाकार (सिविल ऑडिट) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
3-मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन,लखनऊ।
4-निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5-वित्त नियंत्रक समाज कल्याण उ0प्र0 लखनऊ
6-निदेशक एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
7-वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-4/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
8-गार्डफाइल।

आज्ञा से,

रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।